जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, जिला—मुंगेर।

बी.ए. नंबर 671/2026

खड़गपुर थाना कांड संख्या 255/2025

चंदन कुमार बनाम बिहार राज्य।

09.04.2026 काराधीन आवेदक **चंदन कुमार** जो दिनांक **23.02.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है, के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार के द्वारा संचालित किया गया। **जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक ने पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सं0 109/2026 दाखिल किया गया था, जिसे वापस ले लिया गया है। आवेदक इसके अलावा किसी भी सक्षम न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है। जमानत आवेदन के पारा 3 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक के विरुद्ध इस वाद के अलावा दो अन्य वाद 1. खड़गपुर थाना कांड सं0 223/2017 एवं 2. खड़गपुर थाना कांड सं0 170/2025 दर्ज है।**

उभय पक्षों को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचिका वीणा देवी के लिखित आवेदन के आधार पर यह है कि 02.12.2025 को समय 09:00 बजे सूचिका घर की बारी साफ कर रही थी, इसी बीच चंदन कुमार (आवेदक), शंकर यादव, सुष्मिता कुमारी, प्रीति कुमारी, सुलेखा देवी, रीना देवी, विभाल कुमार सूचिका के साथ गाली—गलौज करने लगे। जब सूचिका ने विरोध किया, तो चंदन कुमार ने अपने हाथ में लिए कुल्हाड़ी आये और रीमा कुमारी ने सूचिका की बेटी को सिर पर मारा, जिससे खून बहने लगा तथा बेहोश हो गयी। प्रीति कुमारी एवं विभाल कुमार लाठी लेके आये और सूचिका का मारा, जिससे सूचिका को काफी चोट आयी। झगड़े का कारण जमीनी विवाद चलते मारपीट हुई है। सूचिका के लिखित आवेदन के आधार पर धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 352, 351(2), 3(6) बीएनएस के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है और उसे इस केस में झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्ष गोतिया हैं तथा दोनों पक्ष के बीच जमीनी विवाद दर्ज है। वाद के सह अभियुक्तों का विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय के न्यायालय से जमानत प्रदान की गयी है। आवेदक दिनांक 23.02.2026 से कारा में है। आवेदक के फरार होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से मैं यह पाता हूँ कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। आवेदक पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका तथा उसकी पुत्री के साथ गाली—गलौज तथा मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि चिकित्सक द्वारा सूचिका वीणा देवी के जख्मों को साधारण प्रकृति का बताया गया है। वाद की दूसरी जख्मी रीमा देवी का

लगातार

09.04.2026. कोई भी जख्म प्रतिवेदन अभिलेख पर नहीं है। वाद के सह अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जमानत प्रदान किया गया है। आवेदक दिनांक 23.02.2026 से कारा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति के आलोक में आवेदक को **पांच हजार रूपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू** दाखिल करने पर तथा विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :–

1. **आवेदक के दोनों जमानतदार उसके ग्रामीण होंगे।**
2. **आवेदक आरोप गठन तक न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे।**

लेखापित
Sd/-
(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 09.04.2026

प्रतिलिपिः– विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश की प्रति तथा मूल अभिलेख वापस भेजा जाता है।

(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 09.04.2026